न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी साँवर मल वर्मा, आई0ए0एस)

अपील संख्या 67/15 (अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 )

करण सिंह पुत्र श्री बनैसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम पीपला तहसील व जिला भरतपुर

------अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

------रेस्पोडेण्टस

उपस्थिति :–

1–श्री पंकज कुमार, एडवोकेट अपीलाण्ट

2–सरकारी पैरोकार, एडवोकेट रेस्पोडेंट

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर सम्भाग भरतपुर

निर्णय दिनांक 7–6–2022

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि अपीलांट की ओर से उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 44/2011 उनवान करण सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 26.09.2014 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत एक अपील इस आशय से पेश की कि अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध व तथ्यों के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। क्योंकि अपीलांट ने प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज व रिकार्ड अदालत मातहत में प्रस्तुत कर दिये थे। जिससे यह सिद्ध हो रहा था कि अपीलान्ट के दादा का नाम हाल जमाबंदी में छीतरसिंह दर्ज हो गया है जबकि उनका वास्तविक नाम छत्तरसिंह था। इसके सबूत में साबिक रिकार्ड भी प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अदालत मातहत ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट की ओर से केवल नाम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था व इससे संबंधित समस्त दस्तावेजाद भी प्रस्तुत कर दिये थे। इन दस्तावेजों से यह सिद्ध हो रहा था कि अपीलांट के दादा का नाम दौराने सैटलमेंट भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत दर्ज किया है। परन्तु अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.09.2014 निरस्त किया जावे तथा हाल जमाबंदी में अपीलांट के दादा का नाम छीतरसिंह के स्थान पर छत्तरसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गयी व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गयी जिस पर रेस्पो0

7/6/2022
सम्भागीय आयुक्त
भरतपुर सम्भाग, भरतपुर

...कार उपस्थित हुये व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली प्राप्त

वकील अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.09.2014 विधि विरूद्व व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है क्योंकि अपीलाण्ट ने प्रकरण से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजात व रिकार्ड अदालत मातहत में प्रस्तुत कर दिये थे जिससे यह सिद्व हो रहा था कि अपीलाण्ट के दादा का हाल जमाबंदी में नाम छीतरसिंह दर्ज हो रहा है जबकि उनका वास्तविक नाम छत्तरसिंह था। वकील अपीलाण्ट ने अपने तर्क के समर्थन में ग्राम पीपला के साबिक खसरा नं 2345 हाल 2480 के मिलान क्षेत्रफल की प्रति व जमाबंदी संवत 2019–22 की प्रमाणित प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी। वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अदालत मातहत ने रिकार्ड का अवलोकन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो कि निरस्तनीय है। क्योंकि अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से यह सिद्व हो रहा है कि कि दौराने सैटलमेंट भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अपीलान्ट के दादा का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज किया गया है लेकिन इस तथ्य को भी अदालत मातहत ने नजरअंदाज कर अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.09.2014 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलाण्ट द्वारा की गयी बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय उनके समक्ष प्रस्तुत किये हुए रिकार्ड के आधार पर पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26–10–2014 यथावत रखा जावे।

वकील अपीलाण्ट तथा सरकारी पैरोकार की बहस सुनने तथा मनन करने तथा इस सम्बन्ध में अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र को इस आधार पर निस्तारित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा मिलान क्षेत्रफल की की नकल पेश नही की गयी जिससे यह प्रमाणित हो सके कि हाल खसरा नंबर 2480 0.5 हैक्टेयर, 2345 रकबा 1.10 से बना हो। संवत् 2034–37 की प्रमाणित प्रति नही है, अस्पष्ट है। प्रार्थी ने नकल मतदाता एवं राशन कार्ड आदि पेश नही किया है। रिकार्ड के अभाव में खारिज किया जाता है। चूकिं अपीलाण्ट की ओर से अदालत हाजा में मिलान क्षेत्रफल व भूप्रबंध विभाग से प्राप्त रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की हैं तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र साक्ष्य के अभाव में खारिज किया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अदालत मातहत को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योकिं भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर संभाग, भरतपुर

(सांवर मल वर्मा)
सम्भागीय आयुक्त,
भरतपुर